भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
(Establishment of Indian National Congress)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। राष्ट्रीय जागरण में इस संगठन का विशेष महत्व है। 1885 ई. तक भारतीयों में राजनैतिक चेतना का उद्भव हो चुका था। अब राष्ट्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता थी। अब तक अनेक राजनैतिक संस्थाओं का गठन हुआ, परन्तु सभी संस्थाओं का कार्यक्षेत्र क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित था, अब अखिल भारतीय स्तर पर एक संस्था की स्थापना करने का विचार राष्ट्रवादियों के मस्तिष्क में आया, परन्तु इस क्षेत्र में व्यावहारिक कदम एक सेवा निवृत्त अंग्रेज अधिकारी **एलन ओक्टेवियन ह्यूम** ने उठाया। ह्यूम एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे, जिन्होंने सेवानिवृति के बाद भारत में ही रहने का फैसला किया था।[1] ह्यूम का भारत के वायसराय रिपन के साथ काफी अच्छा सम्बन्ध था। रिपन के उदारवादी एवं भारतीयों को स्वायत्तता प्रदान किये जाने सम्बन्धी विचारों से काफी प्रभावित थे। ह्यूम का विचार था कि भारतीयों की समस्याएं तभी दूर हो सकती है जब वे राजनैतिक रूप से संगठित हों तथा उनकी कोई ऐसी संस्था हो जो सरकार तक उनकी समस्याओं को पहुंचा सकें। कांग्रेस का उद्गम अवैयक्तिक, जन्म परिस्थितियों के कारण व चरित्र स्वत–प्रसूत था [2]

अपने एक पत्र में, जो उन्होंने 1 मार्च 1883 ई. को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को सम्बोधित करते हुए लिखा था, उनके विचार स्पष्ट हो जाते है। उन्होंने लिखा था–**"एकताविहीन व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान तथा उच्च आदर्शों वाले क्यों न हो, अकेले शक्तिहीन होते हैं। आवश्यकता है संघ की, संगठन की और कार्यवाही के लिए एक निश्चित तथा स्पष्ट प्रणाली की।"** उन्होंने बम्बई तथा मद्रास के प्रभावशाली नेताओं से शिक्षित भारतीयों के द्वारा उठाये जाने वाले राजनैतिक कार्यक्रमों के बारें मे विचार–विमर्श किया। मार्च 1885 में यह तय किया गया कि इंडियन नेशनल यूनियन कांग्रेस का प्रारम्भिक नाम का एक सम्मेलन क्रिसमस सप्ताह के दौरान पूना में आयोजित किया जायेगा। मई 1885 में उन्होंने प्रस्तावित संगठन के बारे में लार्ड डफरिन से चर्चा की। इसके बाद मई 1885

में पहला परिपत्र जारी किया गया, जिसमें दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में देश के सभी भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा पूना में बुलाई गई। इस परिपत्र में इस सभा के दो उद्देश्य बताये गये–

1. राष्ट्र की प्रगति के कार्य में लगे लोगों का एक–दूसरे से परिचय कराना।
2. इस वर्ष के लिए कौन–कौन से कार्य किए जायें उनकी चर्चा और निर्णय लेना।

किन्तु दुर्भाग्य से पूना में प्लेग फैल जाने के कारण अधिवेशन का स्थान बदलकर बम्बई कर दिया गया। पहली सभा का आयोजन सोमवार 28 दिसम्बर 1885 ई. को दिन के 12 बजे को **'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय', बम्बई** में किया गया। इसमें करीब 100 लोगों ने भाग लिया, जिनमें से 72 लोगों को सदस्यता प्रदान की गई। ये प्रतिनिधि अधिकांश : अंग्रेजी पढ़े–लिखे बुद्धिजीवी[1] मध्यम वर्ग के सदस्य थे, इसमें जमीदारों तथा सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व कम था।[2] 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' का प्रथम अध्यक्ष बनने का गौरव बंगाल के **उमेशचन्द्र बनर्जी** को मिला।[3] उमेशचन्द्र बनर्जी के अनुसार भारत में एक ऐसा महत्वपूर्ण और व्यापाक प्रतिनिधित्वपूर्ण सम्मेलन इससे पूर्व नहीं हुआ था। इस प्रकार भारत की उस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजनैतिक संस्था का जन्म हुआ, जिसके नेतृत्व में भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई।

कांग्रेस के लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives of The Congress)

कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष उमेश चन्द्र बनर्जी का अध्यक्षीय भाषण कांग्रेस के चरित्र, उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र की ओर स्पष्टतः केन्द्रित था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस के उद्देश्यों का निम्नलिखित ढंग से उल्लेख किया–

(1) देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनैतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध एवं आपसी सम्पर्क को बढ़ावा देना।
(2) जाति, धर्म या प्रांत के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास और सुदृढ़ीकरण।
(3) जनता की मांगों का सूत्रीकरण तथा सरकार के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करना।
(4) देश में जनमत का प्रशिक्षण तथा संगठन।

कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मे नौ प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिसमें निम्नलिखित सुधारों की मांग की गई:–

1. भारतीय प्रशासन की जांच के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए।
2. केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के नामजद सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाये।

3. विदेश नीति के क्षेत्र में ऊपरी वर्गों के विलय की भर्त्सना की गई।
4. सैनिक खर्च में कमी की जाये।
5. भारत तथा इंग्लैण्ड में सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षाओं को साथ–साथ कराने और आयात करों में वृद्धि करने की मांग की गई।
6. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इंडिया कौन्सिल को समाप्त किया जाये।
7. संविधान तथा केन्द्रीय व प्रान्तीय विधायी परिषदों की कार्यवाही को उदारवादी बनाया जाये।
8. कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्तावों को देश के अन्य राजनैतिक संगठनों द्वारा पारित कराने का प्रयास किया जाए।
9. अगला अधिवेशन 28 दिसम्बर 1886 को कलकत्ता में आयोजित हो।

कांग्रेस का स्वरूप (Formation of Congress)–

कांग्रेस आरम्भ से ही एक राष्ट्रीय संस्था थी। यह व्यापक स्वरूप लिए हुए थी। सभी जातियों एवं वर्गों के लिए इसकी सदस्यता हेतु द्वार खुले हुए थे। इसकी प्रगति एवं विकास में देश की लगभग सभी प्रमुख जातियों के प्रतिनिधियों की भूमिका थी। **प्रथम अध्यक्ष उमेश चन्द्र बनर्जी भारतीय ईसाई थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी पारसी थे, तीसरे अध्यक्ष बदरूद्दीन तैयब जी मुसलमान थे। चौथे जार्ज यूल तथा पांचवे सर विलियम वेडनबर्न अंग्रेज थे।** इस संस्था के जन्मदाता एक अंग्रेज अधिकारी थे। अतः वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी वर्गों का नेतृत्व किया। कांग्रेस प्रतिनिधि ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा था – **"कांग्रेस सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय है। यह किसी विशेष जाति, वर्ग या हित की प्रतिनिधि नहीं है। यह समस्त भारतीय हितों और सब वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है।"**

कांग्रेस की उत्पत्ति से सम्बन्धित विवाद
(Controversy Regarding The Birth of Congress)

कांग्रेस की स्थापना के 122 वर्ष के बाद भी इतिहासकारों के मध्य इस बात को लेकर आज भी परस्पर विवाद है कि कांग्रेस की स्थापना किन कारणों तथा उद्देश्यों को सामने रखकर की गई। संभवतः इस विवाद को बल इस कारण मिला, क्योंकि कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ.ह्यूम स्वयं एक अंग्रेज तथा अवकाश–प्राप्त आई.सी.एस. अधिकारी थे। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में अहम भूमिका निभाई थी, अतः यह स्वाभाविक भी था कि तत्कालीन और बाद के इतिहासकार इसकी स्थापना के कारण एवं उद्देश्य पर अपने–अपने विचार व्यक्त करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की व्याख्या निम्नलिखित वैकल्पिक सिद्धांन्तों द्वारा की जा सकती है।

(1) रक्षा नली के रूप में कांग्रेस का जन्म (Congress Birth as Safety Valve)– यद्यपि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व से, जागरूक भारतीय, अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे और इस दिशा में प्रयत्नशील भी थे, किन्तु कांग्रेस के जन्म का मुख्य श्रेय ए.ओ.ह्यूम को है। अतः प्रश्न यह उठता है कि ह्यूम एक सेवानिवृत्त आई.सी.एस. अंग्रेज

अधिकारी था उसने कांग्रेस संस्था की स्थापना क्यों की ? कांग्रेस की स्थापना के सम्बन्ध में ह्यूम ने अपने एक मित्र **सर ऑकलैण्ड कॉल्विन** (SirAuckland Colvin) को बताया था कि **"उन्होनें यह योजना अपने ही कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई एक प्रबल और बढ़ती शक्ति के निष्कासन के लिए एक रक्षा नली** (Safety Valve) **के उद्देश्य से बनायी थी।"**[1] विलियम बेडरबर्न ने ह्यूम की जीवनी लिखते समय भी इसी तर्क को दोहराया है। लाला लाजपत राय ने भी इसी तर्क को सत्य माना है।[2]

किन्तु संभवतः ह्यूम के ऊपर 1857 के विद्रोह का काफी प्रभाव पड़ा था। लिटन की अफगान नीति, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट तथ स्टेट्यूटरी सिविल सर्विस नियमों का सामूहिक प्रभाव उसे उसी वर्ष दिखाई पड़ा। 1879 में सेना रसद विभाग के एक क्लर्क, वासुदेव बलवन्त फड़के द्वारा रामोशी किसानों को एकत्रित कर महाराष्ट्र के हथियारबंद विद्रोह से भविष्य में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के लिए खतरे का पूर्वाभास हुआ। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, तथापि भविष्य में भी इस तरह की घटना की पुनरावृति का भय ह्यूम को आतंकित कर रहा था। ह्यूम जैसे अन्य अंग्रेज अफसरों तथा राजनेताओं को डर था कि शिक्षित भारतीय जनता को नेतृत्त्व प्रदान कर भविष्य में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली विद्रोह आयोजित कर सकते हैं। ह्यूम को विश्वास था कि राष्ट्रीय कांग्रेस शिक्षित भारतीयों के असंतोष के लिए एक शान्तिपूर्ण और संवैधानिक निर्मम मार्ग की व्यवस्था करेगी। इस प्रकार वह जनविद्रोह नहीं भड़कने देगी।

अतः इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म एक सुनियोजित ब्रिटिश चाल के तहत हुआ, ताकि शिक्षित भारतीयों के बीच उत्पन्न हुए असंतोष को शांतिपूर्ण, संवैधानिक तरीक से निकास मिल सके और इस तरह ब्रिटिश राज के खतरे को टाला जा सके।

लेकिन वर्तमान शोध तथा ह्यूम द्वारा लार्ड डफरिन को लिखे गए गुप्त पत्रों से, जो अब उपलब्ध है, उससे प्रकट होता है कि ब्रिटिश पदाधिकारियों के द्वारा ह्यूम के विचारों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। इसके अतिरिक्त ह्यूम का उद्देश्य शिक्षित भारतीयों के असंतोष के निकास को अलग सुरक्षा कपाट बनाने की अपेक्षा उसके उदात्त उद्देश्यों से प्रेरित था। उसके मन में भारत तथा उसके गरीब किसानों के प्रति सच्चा प्रेम था।

1885 से 1906 तक वे कांग्रेस के महासचिव रहे और इसकी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेते रहे। राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करने में जिन भारतीय नेताओं ने ह्यूम के साथ सहयोग किया, वे भी उच्च चरित्र वाले देशभक्त थे। उन्होंने स्वेच्छा से ह्यूम की सहायता स्वीकार की, क्योंकि वे नही चाहते थे कि राजनैतिक गतिविधियों के प्रारम्भिक चरण में ही सरकार उनके प्रति द्वेषपूर्ण नीति अपनाए। इस सम्बध में महान नेता **गोपालकृष्ण गोखले** ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये है –

"कोई भी भारतीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरूआत नहीं कर सकता था। अगर कांग्रेस का संस्थापक एक महान अंग्रेज और विशिष्ट पूर्व अधिकारी नहीं होता तो उन दिनों जिस नजर से राजनैतिक आंदोलनों को देखा जाता था, अधिकारी किसी न किसी आधार पर आंदोलन को दबा देते।"

(2) डफरिन के रचयिता होने का सिद्धान्त (Dufferin's Authorship Theory)– डब्ल्यू सी. बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ने अपनी पुस्तक 'इन्ट्रोडक्शन टु इण्डियन पॉलिटिक्स' जो 1898 में लिखी गई, मे यह विचार प्रकट किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य सभी राजनैतिक संस्थाएं भारत के गवर्नर जनरल लार्ड डफरिन के षडयन्त्रकारी दिमाग की उपज थी। बनर्जी के अनुसार – **'डफरिन ने ए.ओ.ह्यूम को सुझाव दिया कि एक अखिल भारतीय राजनैतिक संस्था बनाई जाये जो सरकार को प्रशासन की त्रुटियां बताकर उन्हें दूर करने के सम्बन्ध में सुझाव दे। डफरिन का विचार था कि प्रस्तावित संस्था इंग्लैण्ड की संसद में विरोधी की भूमिका निभाये। ह्यूम उनसे सहमत हो गये और उसने यह विचार भारतीय राजनीतिज्ञों के सम्मुख रखा। भारतीय राजनीतिज्ञ इस बात पर सहमत हुए और इसके लिए प्रयत्न करने का निश्चय किया।'** बनर्जी के कथन का समर्थन बेडरबर्न तथा अन्य समकालीन लेखकों से भी निलता है। **आर. पी मसानी लिखते है–"यदि एलन ह्यूम कांग्रेस के पिता थे, तो डफरिन उसके धर्मपिता।"**

किन्तु डफरिन के निजी पत्र ह्यूम के प्रस्ताव के विषय की प्रतिक्रिया के विषय में कुछ स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं करते। बल्कि इन पत्रों से पता चलता है कि डफरिन भारत की राजनैतिक अवस्था के विषय में इतने चिन्तित नहीं थे, जितने कि ह्यूम। डफरिन ने लार्ड को यह मंत्रणा दी थी कि वह कांग्रेस सभापति का पद स्वीकार नही करें और ह्यूम की योजना पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की।

(3) कांग्रेस रूस के भय की उपज (Birth of Congress, Fear of Rusian Attact on India)– डॉ. नन्दलाल चटर्जी ने **'माडर्न रिव्यू'** के अक्टूबर 1950 के एक अंक में लिखे लेख द्वारा यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि कांग्रेस की स्थापना भारत पर रूस के सम्भावित आक्रमण के विरूद्ध की गई थी। 1884–1885 में रूस ने क्रमशः अफगानिस्तान के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था तथा भारत पर भी उसके आक्रमण का भय उत्पन्न हो गया था। अतः ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ठीक दिशा में बदल देना तथा रूसी हथकंडो का निवारण करना था। यही कारण है कि जब रूसी आक्रमण का भय समाप्त हो गया तो भारत सरकार का व्यवहार कांग्रेस के प्रति एकाएक बदल गया।

डब्ल्यू. एस. ब्लन्ट, जिन्होंने 1883–84 में भारत का भ्रमण किया था, ने लिखा था 'भारत के लिए रूस एक मित्र प्रतीत हो सकता है, जो हमारी घातक आर्थिक प्रणाली से छुटकारा दिला दे, स्वतंत्र, अच्छी अर्थव्यवस्था तथा भौतिक प्रगति का मित्र अर्थात् रूस पूर्ण स्वशासन के बदले एक नई व्यापारिक सन्धि कर ले और इस प्रकार लोकप्रियता में हमसे आगे निकल जाए।'

रूस के इस मनोवैज्ञानिक भय के समय ह्यूम डफरिन से शिमला में मिला और उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने की योजना उसके सम्मुख रखी। डफरिन ने ह्यूम की योजना का विरोध करना उचित नहीं समझा। इस प्रकार रूस के व्याप्त भय के फलस्वरूप डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध नहीं किया।

(4) थियोसोफिकल सोसायटी और कांग्रेस (Theosophical Society and Congress)— अपनी पुस्तक (How India wrought for freedom) में एनी बेसेन्ट ने अपनी थियोसोफिस्ट साथियों को इस बात का श्रेय दिया है कि उन्होंने भारत के कल्याण के लिए अखिल भारतीय राजनैतिक संस्था का विचार बनाया। ह्यूम का थियोसोफिकल सोसायटी से सम्बन्ध होना, आलकॉट तथा ऐनी बेसेन्ट का यह दावा, कि थियोसोफिकल सोसायटी ने ही कांग्रेस को जन्म दिया, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। वह लिखती हैं, "1884 के दिसम्बर के अंतिम दिनों में 17 थियोसोफिस्ट, जिनमें अधिकतर मद्रास के एक उपनगर अडयार में थियोसोफिकल सभा के लिए प्रतिनिधि बनकर आए हुए थे, दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास पर एकत्रित हुए तथा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्रेम तथा आशाओं से प्रेरित होकर एक राष्ट्रीय राजनैतिक आंदोलन का विचार बनाया।" वह इस सभा को कांग्रेस का अग्रगामी कहती हैं, किन्तु एनीबेसेन्ट का यह दावा सही प्रतीत नही होता। 1884 के मद्रास सम्मेलन के परिणामस्वरूप किसी कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई। उस समय स्वयं आलकॉट ने राजनैतिक विषयों में हस्तक्षेप करने से मना किया। 1885 में भी आलकॉट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अपेक्षा थियोसोफिकल सोसायटी का वार्षिक सम्मेलन को अधिक महत्वपूर्ण बताया था। आलकॉट और ह्यूम में कांग्रेस स्थापना से पूर्व ही मनमुटाव हो चुका था। अतः ह्यूम का एक समय थियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना से पूर्व ही प्रचलित थी। ह्यूम स्वयं उन 17 सदस्यों में नहीं थे और उन 17 सदस्यों में से अधिकांशत : कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अनुपस्थित थे। अतः 1884 में मद्रास में हुए थियोसोफिकल सम्मेलन को कांग्रेस के जन्म के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(5) भारतीय विशिष्ट वर्ग की प्रतिद्वंद्विता और महत्वाकांक्षाएं (Rivalry of Indian Elite Class)— केम्ब्रिज के विद्वानों की मान्यता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ अर्थों मे राष्ट्रीय नहीं थी, बल्कि यह स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा चलाया गया आंदोलन था और यह उनके आर्थिक हितों और संकीर्ण विवादों की पूर्ति के लिए साधन के रूप में कार्य करता था। इस विचारधारा के प्रबल समर्थक इतिहासकार अनिल सिले हैं, किन्तु उनके इस विचार को भारतीय इतिहासकारों ने चुनौती दी है। उनका कहना है कि अंग्रेजों की रंगभेद नीति तथा ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारतीय भी समान राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक समानता के अधिकारी है। इस भावना ने उन्हें एक ऐसा राष्ट्रीय राजनैतिक संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया ताकि उनके हितों की पूर्ति हो सके।

(6) अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता (Need for All India Institute)— कुछ विद्धानों का मत है कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीयता को एक देशव्यापी